

प्ररूप आई डी
भा.नि.आ.-नि.फो.प.प.-001 क

भारत निर्वाचन आयोग

प्ररूप 6/8/8क के साथ वैकल्पिक फोटो प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम :
निर्वाचन क्षेत्र का सं. और नाम
आवेदक का ब्यौरा जैसा प्ररूप 6/8/8क में दिया गया है

हाल ही की पासपोर्ट आकार
(3.5 से.मी. X 3 से.मी.) की
फोटो चिपकायें (इस फोटो
पर हस्ताक्षर न करें)

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/माता/पति का नाम:
3. मामूली तौर पर निवास स्थान की विशिष्टियां (पूरा पता) :

भवन/द्वार संख्यांक :							
गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/मार्ग :							
शहर/गांव :							
डाक घर :							
तहसील/तालुका/मण्डल/थाना :							
जिला:	पिन कोड						

मैं अपनी हाल ही की पासपोर्ट आकार की फोटो की दो प्रतियां प्रस्तुत कर रहा हूं। एक फोटो प्ररूप 6/8/8क की दायीं ओर ऊपर, उस पर मेरे हस्ताक्षर करके/अंगूठे की छाप लगाकर चिपकायी गयी है। दूसरी फोटो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (नि.फो.प.प.) तैयार करने के प्रयोजन के लिए इस आवेदन पर चिपका दी गयी है। मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि प्ररूप 6 में निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए या प्ररूप 8क में प्रविष्टि के स्थानान्तरण के लिए मेरा दावा स्वीकार नहीं किया जाता है तो इस फोटो का उपयोग करके कोई नि.फो.प.प. जारी नहीं किया जायेगा और मुझे फोटो नहीं लौटायी जायेगी।

या

प्ररूप 8 में किये गये शुद्धिकरण के लिए आवेदन के अनुसार इस फोटो को, फोटो निर्वाचक नामावली में मेरे नाम के सामने विद्यमान गलत फोटो के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए, उपयोग में लिया जा सकता है।

भवदीय,

स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर/
दिनांक : अंगूठे की छाप

टिप्पण : कृपया, अपनी फोटो और उसी पते को, जो आवेदन में है, दर्शित करने वाले किसी दस्तावेज जैसे पासपोर्ट, चालान अनुज्ञापति, आयुध अनुज्ञापति आदि, यदि उपलब्ध हो, की फोटो प्रति संलग्न करें। मूल दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय और फील्ड सत्यापन या सुनवाई के समय भी, यदि अपेक्षित हो, दिखायें।

(केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने, पुत्र
.....(सत्यापन/ अनुप्रमाणन
अधिकारी का पदनाम) आवेदक की फोटो की सत्यता का, मूल पासपोर्ट/चालान अनुज्ञापति/आयुध अनुज्ञापति/अन्य
(दस्तावेज का नाम विनिर्दिष्ट करें और एक फोटो प्रति प्राप्त करें यदि पूर्व में संलग्न नहीं है) के साथ या फोटो की
सत्यता का समर्थन करने वाले श्री/श्रीमती(व्यक्ति का नाम), जिसका नाम निर्वाचक नामावली में
सम्मिलित है, के कथन के आधार पर सत्यापन किया है।

पदधारी के हस्ताक्षर।